न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 180/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
गोपाल हटिला पुत्र सुगनचंद जाति सेवक ब्राह्मण निवासी मेडता सिटी तहसील मेडता जिला नागौर		सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मेडता

उपस्थितिः–
1 प्रार्थी की ओर से श्री गोविन्द प्रकाश सोनी अधिवक्ता।
2 अप्रार्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया, राजकीय अधिवक्ता।

दिनांकः 28.03.2025

आदेश

वकुलाय उपस्थित। मामले के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार मेडता के प्रकरण सं. 36/23 सरकार बनाम गोपाल हटिला में प्रार्थी द्वारा मौजा मेडता की भूमि से बेदखली व शास्ति से संबंधित आदेश दिनांक 18.01.2024 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब न देकर सीधे ही बहस की।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

2.(1) अपीलांट ने अनुवान सदर की अपील पेश की है, जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित है। जिसमें अपीलांट को कामयाबी मिलने की पूरी पूरी आशा है।

2.(2) प्रत्यर्थी तहसीलदार मेडता द्वारा अपीलांट को नोटिस धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत जारी करना बताया, मगर अपीलांट को ऐसा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, एकपक्षीय आदेश दिनांक 18.01.24 को जारी किया गया, इस संबंध में यह करना आवश्यक है कि निर्णय में खसरा नम्बर 2497 पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बताकर निर्णय पारित किया गया है जबकि राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.76 हैक्टयर में से 31/42 हिस्सा ग्राम की मिश्रित भूमि अ.वि.वि. श्मशान काश्त दर्ज है तथा 11/42 हिस्सा ग्राम की मिश्रित भूमि अ.वि.वि. काश्त रास्ता बताया है। इस वजह से 0.76 हैक्टेयर श्मशान रेकर्ड में दर्ज नहीं है। मौके पर श्मशान भूमि में जो पुष्करणा समाज की श्मशान की भूमि आयी हुई है। जिसमें काफी निर्माण पुष्करणा समाज द्वारा वर्षो पूर्व पब्लिक यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए श्मशान भूमि के उचित रखरखाव हेतु व श्मशान भूमि पर होने वाले खर्च की आवश्यकताओं को देखते हुए अलग अलग लोगों को भूमि किराये पर दी। इस प्रकार वास्तविक स्वामी पुष्करणा समाज है, मगर एकपक्षीय आदेश होने के कारण किसी भी प्रकार की साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आयी और एकपक्षीय आदेश बेदखल का कर दिया गया, बेदखल आदेश के साथ जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट है, उस पर बिना किसी प्रकार का सीमाज्ञान किये बिना

28/3/25
अपर कलक्टर, नागौर

अतिक्रमण का नाप अंकित किये, मनमाने रूप से एक निर्धारित परफोर्मा में पुस्त पर एक नजरी नक्शा बनाकर किसी भी प्रकार का पाडौस अंकित किये बिना ही अपीलार्थी को अतिक्रमी बताकर रिपोर्ट पेश कर दी तथा उस रिपोर्ट पर पृष्ठ भाग पर तो भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का दोनो के हस्ताक्षर है लेकिन पुस्त भाग पर केवल पटवारी के हस्ताक्षर है, यहां तक कि उक्त मौका रिपोर्ट तब तैयार की गई कोई तारीख अंकित नहीं है, इसी प्रकार जो नोटिस जारी किया है, उसकी पुस्त पर अपीलांट के भी नोटिस प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान के ही अपूर्ण रिपोर्ट मनमाने तौर पर पेश की गई है और इस अस्पष्ट रिपोर्ट पर दिनांक 18.01.2025 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया है तथा इसी प्रकार के नोटिस और भी अपीलांट के अलावा अन्य लोगों को भिजवाने जिसमें से कुछ लोगों को नोटिस प्राप्त हुए और कुछ को नहीं हुए, इस प्रकार सभी प्रकरण दर्ज करके एक साथ आदेश पारित कर दिये है। जिसका विस्तृत उल्लेख अपील में किया हुआ है, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलांट को अतिक्रमी घोषित नहीं किया जा सकता है, वादग्रस्त जायदाद पुष्करणा समाज की श्मशान भूमि है। इस पर पुष्करणा समाज द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर निर्माण कार्य करवाया गया है, जो श्मशान भूमि के ही उपयोग व उपभोग में आ रहा है तथा मौके पर जो निर्माण किया है, वह पब्लिक यूटिलिटी का ही निर्माण है, मगर मौके की विस्तृत रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं होने के कारण अपीलांट ने मूल अपील में आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 के तहत अलग से एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, मगर अपील के निस्तारण में अभी समय लगेगा, तब तक अपीलांट को मौके से गैरकानूनी तरीके से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी और अपीलांट व अपीलांट के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इस प्रकार अपीलांट के निर्णय तक उक्त प्रकरण की कार्यवाही यानि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विती पर रोक लगाना आवश्यक है।

3.–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रार्थी द्वारा मौजा मेडता में स्थित गै. मु. शमशान पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित है, तो ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के हक मे किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती। प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मेडता के प्रकरण सं. प्रकरण संख्या 36/23 सरकार बनाम गोपाल हटिला में निर्णय दिनांक 18.01.2024 के तहत मौजा मेडता की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन श्मशान है तथा प्रथम दृष्टया प्रार्थी का मामला नही बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्मशान भूमि से ही अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसे स्थगित किये जाने को लेकर ठोस आधार पत्रावली पर नही है। अतः ऐसी स्थिति में स्थगन जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

6. आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर